मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए निर्णय

5 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा संपूर्ण लाभ

भोपाल, 4 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल अधोसंरचना और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने वाले कई अहम फैसले लिए गए.

बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 32 हजार 70 करोड़ रुपये की योजनाओं एवं प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को स्वीकृति दी गई, जिससे करीब 5 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. यह योजना उन किसानों के लिए है.

योजना के तहत ऐसे किसानों को दोबारा मुख्यधारा में लाकर नए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. प्रभावित किसानों की सहायता के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा 50 करोड़ रुपये तक की निधि बनाई जाएगी, जबकि राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराएगी. मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी बड़ी राशि

32,000	50,000	2,460	1,999
करोड़ से अधिक के प्रस्ताव किए पारित	करोड़ की किसान निधि की जाएगी निर्मित	करोड़ युवा एवं खेल अधोसंरचना के लिए मंजूर	करोड़ मंजूर डिजिटल सेवाओं को गति देने के लिए

स्वीकृत की है. जिला एवं सिविल अस्पतालों तथा औषधालयों के संचालन के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक 12 हजार 517.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

किसको क्या मिला...

बैठक में मलेरिया सहित अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए 1 हजार 704.81 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत रोग नियंत्रण, कीटनाशक व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल अधोसंरचना विस्तार योजना को भी स्वीकृति मिली है. प्रदेश में स्टेडियम और खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 हजार 460 करोड़ 57 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे जिला मुख्यालयों और विकासखंड स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार होगा तथा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियों में मदद मिलेगी. डिजिटल सेवाओं को गति देने के लिए स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1 हजार 99 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. इससे सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाएं अधिक सुरक्षित और प्रभावी होंगी.

सागर में बुजुर्ग ससुर ने ही बहू की चाकू मारकर की हत्या

सागर, 4 अगस्त. मध्यप्रदेश में सागर जिले के मकरोनिया थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक बुजुर्ग ससुर द्वारा अपनी बहू की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार मकरोनिया थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-07 स्थित गायत्री नगर निवासी सविता उर्फ शिवानी दीक्षित (42) अपने दो बच्चों के साथ रहती थीं. उनके पति देवेश दीक्षित बीएसएफ में पश्चिम बंगाल में पदस्थ हैं. मंगलवार सुबह एक बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सविता का उनके 70 वर्षीय ससुर रामनरेश दीक्षित से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित रूप से चाकू से बहू पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय भेज दिया. पुलिस ने आरोपी ससुर को अभिरक्षा में लेकर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रीवा-कोलकाता और रीवा-भोपाल विमान सेवा 9 से

- उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने केंद्रीय मंत्री नायडू से की मुलाकात
- विंध्य क्षेत्र को मिलेगा हवाई कनेक्टिविटी का लाभ

भोपाल, 4 अगस्त. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से सौजन्य भेंट की.

उन्होंने 9 अगस्त से शुरू होने जा रही रीवा-कोलकाता एवं रीवा-भोपाल (72 सीटर) विमान सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में हवाई संपर्क का लगातार विस्तार हो रहा है. रीवा से शुरू होने वाली नई विमान सेवाओं से विंध्य क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को नई गति मिलेगी.

सहायक राजस्व निरीक्षक को किया सस्पेंड

संपत्तिकर रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 4 अगस्त. नगर निगम ग्वालियर में संपत्तिकर रिकॉर्ड में गंभीर हेरफेर का मामला सामने आया है. निगमायुक्त संघ प्रिय ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक नरेंद्र कुशवाह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उन्हें स्वास्थ्य विभाग में अटैच कर दिया गया है.

शिकायतकर्ता सुरेश बनवानी (निवासी - टैगोर नगर वार्ड 30) ने संपत्ति की मूल आईडी बदलकर अवैध तरीके से विक्रय और नामांतरण प्रक्रिया पूरी करने का उन पर आरोप लगाया है. निगमायुक्त द्वारा सहायक राजस्व निरीक्षक नरेंद्र कुशवाह को सस्पेंड कर दिया गया है. जांच में सामने आया कि महज एक घंटे के भीतर संपत्ति के मालिक का नाम बदल दिया गया था. शिकायत के अनुसार, संपत्ति की मूल आईडी (1000255876) के स्थान पर दूसरी संपत्ति आईडी (1000107294) का इस्तेमाल किया गया. इसी फर्जी रसीद और गलत दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति के विक्रय और नामांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया तथा अन्य व्यक्तियों ने गलत विवरण प्रस्तुत कर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया. प्रथम दृष्टया जांच में गड़बड़ी पुख्ता पाए जाने के बाद निगमायुक्त ने यह सख्त प्रशासनिक कदम उठाया है.

क्या है पूरा मामला

टैगोर नगर वार्ड 30 निवासी सुरेश बनवानी ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी संपत्ति, जिसका वे नियमित रूप से संपत्तिकर जमा कर रहे थे, उसके रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी की गई है.

महिला के शव पर चींटियां मिलने से अस्पताल में किया हंगामा

बड़वानी, 04 अगस्त. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम से पहले एक महिला के शव पर चींटियां रेंगती मिलने की घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. घटना के बाद संबंधित कर्मचारी को हटा दिया गया तथा मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

सड़क दुर्घटना में घायल 58 वर्षीय राधाबाई, निवासी नवलपुरा, को रविवार शाम जिला अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम सोमवार सुबह होना था, इसलिए शव को रातभर अस्पताल में रखा गया. आरोप है कि शव को मॉर्च्युरी (शवगृह) में रखने के बजाय पोस्टमार्टम कक्ष में रखा गया. सोमवार सुबह पोस्टमार्टम से पहले जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने शव के कई हिस्सों पर चींटियां रेंगती देखीं. नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया. बड़वानी विधायक के प्रतिनिधि विष्णु बनड़े भी अस्पताल पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की.

एक नजर में

भस्मारती के प्रभारी व सहायक को हटाया

उज्जैन. श्रावण के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं की भस्मारती में भीड़ के चलते उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह महाकाल मंदिर में अचानक अल सुबह ही निरीक्षण करने पहुंच गए थे. उन्हें वहां काफी गड़बड़ियां मिली थी. मंगलवार को कार्रवाई सामने आई जब मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने आदेश जारी कर भस्मारती के प्रभारी व सहायक को हटा दिया. कलेक्टर सिंह प्रशासन व मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ भस्मारती के प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे. जब उन्होंने यहां तैनात समिति के कर्मचारियों से जानकारी ली तो वे संतुष्ट जनक जवाब नहीं दे पाए थे.

5 हजार की रिश्वत लेते रोजगार सहायक गिरफ्तार

ग्वालियर. ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त जारी करने के एवज में रिश्वत लेते एक ग्राम रोजगार सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. ईओडब्ल्यू के अनुसार डबरा तहसील के ग्राम सागरपुरा बाबूपुर निवासी अजय कुशवाह ने शिकायत की थी कि उनके पिता कैलाश कुशवाह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की अंतिम किश्त जारी कराने के लिए ग्राम लिधौरा के ग्राम रोजगार सहायक सोनू शर्मा आठ हजार रिश्वत मांग रहा है ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह तोमर ने बताया कि शिकायत का तकनीकी सत्यापन कराया गया,

एनएसयूआई का शक्ति प्रदर्शन

मंत्री निवास घेरने से पहले पुलिस ने रोका

- बैरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता, वाटर कैनन चला, हिरासत के बाद छोड़ा
- राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

नव भारत न्यूज

रतलाम। शहर में मंगलवार को छात्रों के मुद्दों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का बड़ा दृश्य देखने को मिला। एनएसयूआई, राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ (एनईवाय) और अन्य छात्र संगठनों के कार्यकर्ता 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप के निवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने पहले से की गई सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेड्स लगाकर मार्च को रोक दिया। हालात तब तनावपूर्ण हो गए, जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और आगे बढ़ने का प्रयास किया। आंदोलन की शुरुआत दो बत्ती चौराहे से हुई, जहां बड़ी संख्या में छात्र और युवा संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं को रोजगार, छात्र सुविधाओं के विस्तार और अन्य 21 मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद पैदल मार्च मंत्री कार्यालय की ओर बढ़ा। दिल बहार चौराहे के समीप पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक चलती रही। कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और वहीं बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की।

प्रतिनिधिमंडल ने 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा

प्रदर्शन के समापन पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम संबोधित 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। आंदोलन के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

सूना मिला पीडब्ल्यूडी देवसर का दफ्तर

देवसर. अनुविभागीय अधिकारी, लोनिवि देवसर कार्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सोमवार के दिन सरकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय परिसर सूना मिला. कई कक्षों में न तो अधिकारी मौजूद थे और न ही कर्मचारी. दूर-दराज से अपनी शिकायत और कार्य लेकर पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा.

22 वर्षीय युवक की हत्या के बाद बवाल

गिरफ्तारी की मांग पर सड़क से एसडीओपी कार्यालय तक प्रदर्शन

नव भारत न्यूज

जावरा, 4 अगस्त. समीपस्थ ग्राम सिंदुरकिया में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक 22 वर्षीय युवक साहिल उर्फ शाहनवाज की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है.

घटना बड़ावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हाटपिपलिया पुलिस चौकी की है, जहाँ ग्राम पंचायत भवन के पास पुराने कुएँ के रास्ते पर युवक का रंजिशवश शव पाया गया. मृतक पेशे से ड्राइवर था. घटना स्थल पर युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला तथा उसके कपड़े भी फटे हुए थे. सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. हत्याकांड के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने पर वे हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ जावरा स्थित एसडीओपी कार्यालय पहुँच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग फोरलेन पर जमा हो गए,

खून से लथपथ शव मिला

ग्वालियर. विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर में मंगलवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव मंदिर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतक के हाथ पर गहरा घाव था और घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में खून फैला मिला. सूचना मिलते ही थाना पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान आशीष बाथम पुत्र नरेश बाथम निवासी सिंधिया नगर के रूप में हुई है. वह सिटी सेंटर क्षेत्र में पानी की टिक्की का ठेला लगाकर जीविकोपार्जन करता था. प्रारंभिक जांच में शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं मिली, जबकि हाथ पर गंभीर घाव होने से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौत की आशंका जताई गई है. परिजनों ने बताया कि आशीष सोमवार रात करीब 9 बजे घर से निकला था.

उस समय वह शराब के नशे में था. मंगलवार सुबह लोगों ने मंदिर के गेट के बाहर उसका शव देखा और पुलिस को सूचना दी.

ग्राम पंचायत सचिव को किया निलंबित

शाजापुर. कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ मनीषा वास्कले को ग्राम पंचायत घटियाखुर्द सचिव बद्रीलाल कराड़ा को निलंबित करने के निर्देश दिए थे. सीईओ ने कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए सचिव बद्रीलाल कराड़ा को मप्र पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं. उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर से शिकायत की जांच करने पर तकनीकी मापदंड अनुसार सीसी रोड निर्माण 8 इंच मोटाई में नहीं करते हुए 3 से 4 इंच मोटाई में ही किया जाना पाया गया. जिसके संबंध में संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए गए थे, जिसका ग्राम पंचायत सचिव बद्रीलाल कराड़ा द्वारा उत्तर नहीं दिए जाने से ग्राम पंचायत सचिव बद्रीलाल कराड़ा को निलंबित कर दिया गया हैं.

आरोप-प्रत्यारोप | नियम विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया नामांकन

मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर नोटिस जारी

जबलपुर, 4 अगस्त. मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी के रूप में दायर किया गया नामांकन निरस्त किये जाने के खिलाफ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने हाईकोर्ट में चुनाव दायर दायर की थी.

हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितम्बर को निर्धारित की गयी है। कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर की गयी चुनाव याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना की एक अदालत में महिला द्वारा दायर व्यक्तिगत परिवाद में उन्हें प्रतिवादी बनाया था।

प्रतिवादी बनाये जाने के कारण न्यायालय ने उनका पक्ष के लिए नोटिस जारी किया था। उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज या विचाराधीन था। उनके नामांकन पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी छुपाने के आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया।

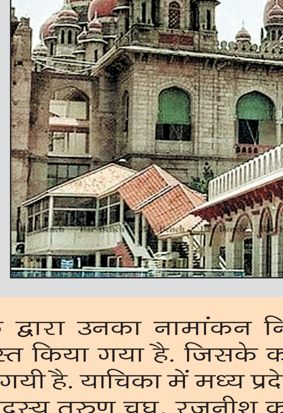

उन्होंने सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को बताया था कि परिवाद में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, सिर्फ औपचारिक तौर पर उन्हे अनावेदक बनाया गया है।

रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनका नामांकन नियम विरूध्द तरीके से निरस्त किया गया है। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।

याचिका में मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल, महेश केवट, केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग को अनावेदक बनाया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व आर्यन गुप्ता ने पैरवी की।

> रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनका नामांकन नियम विरूध्द तरीके से निरस्त किया गया है. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. याचिका में मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल, महेश केवट, केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग को अनावेदक बनाया गया है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व आर्यन गुप्ता ने पैरवी की.

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा, मुंबई
पीएनबी प्रगति टॉवर, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर सी-9, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051,
ईमेल : ZS8356@PNB.CO.IN

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT) के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक (प्रोविसो) के साथ पठित अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस

एतद् द्वारा सामान्य जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / प्रभारित नीचे वर्णित वह अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा बैंक / सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को संबंधित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से बैंक / सुरक्षित लेनदार के बकाए की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहाँ है' 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी वहाँ है' के आधार पर बेचा जाएगा. आरक्षित मूल्य और बयाना जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

क्र.	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ता / गारंटरों के नाम और पते	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण मालिक का नाम (संपत्ति(यों) के गिरवी रखने वाले)	A) SARFESI अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि B) धारा 15 के अंतर्गत NPA की तिथि तक की राशि C) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख D) कब्ज़े की प्रकृति प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य (रु.) B) ईएमडी (रु.) C) बिड बढ़ाने की रकम (रु.)	ई-नीलामी की तिथि/समय	सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पता एनकम्ब्रेंस की डिटेल्स
1.	**SAMB, मुंबई** **मेसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड** **पंजीकृत कार्यालय** : 703-705, चेतक सेंटर, 12/2, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452 001; **यहाँ भी स्थित है**: ए-302, मांगल्य को-ऑप सोसाइटी, एरोल मरोशी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059 **गारंटर** : **श्री विजय चौधरी** **पता** : आत्मज श्री मदनलाल चौधरी, 905/906 इंद्रादर्शन, मिल्लत नगर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 053. **श्रीमती मंजिरी चौधरी** **पता** : पत्नी श्री विजय चौधरी, पता- 905/906, इंद्रादर्शन, मिल्लत नगर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 053. **श्री बी.एल. केजरीवाल** **पता** : आत्मज श्री बाबूलाल केजरीवाल, 41/42, लिंक गार्डन को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी, मिल्लत नगर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 053. **मेसर्स मैग्नीफिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (बंधककर्ता भी)** **पता**: 703-705, 7वीं मंजिल, चेतक सेंटर, 12/2 आरएनटी मार्ग, इंदौर-452 001. **मेसर्स ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (बंधककर्ता भी)** **पता**: 703-705, 7वीं मंजिल, चेतक सेंटर, 12/2 आरएनटी मार्ग, इंदौर-452 001. **मेसर्स जूम रियलिटीज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बंधककर्ता भी)** **पता**: ए 53, रोड नंबर 1, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.	**संपत्ति 1**:- प्लॉट क्रमांक 08, एम.जी. रोड, इंदौर नये क्रमांक 8/11/1, 8/11/2, 8/11/3, 8/11/4, 8/11/5, 8/11/6। खतियान क्रमांक 4423, 4424, 4425, 4426, 4427 एवं 4428 सभी दिनांक 18.03.1993. गाँव/कस्बा एम. जी. रोड, इंदौर, **कुल क्षेत्रफल**: 8750 वर्ग फीट. मेसर्स मैग्निफिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में प्लॉट क्र. 08, एम. जी. रोड, इंदौर नया क्र. 8/11/7, 8/11/8 खेतान क्र. 97 और 96 दोनों दिनांक 03.04.1993. गाँव/शहर एम. जी. रोड, इंदौर. कुल क्षेत्रफल: 2917 वर्ग फीट. ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में.	A) 18.01.2012 B) 3002,32,50,029.70 (सभी लेंडर्स का) और NPA की तारीख से उस पर और ब्याज. C) 24.09.2012 D) प्रतीकात्मक कब्ज़ा	A) 13,06,00,000/- B) 1,30,60,000/- C) 10,00,000	24.08.2026 11:00 पूर्वाह्न से 04:00 अपराह्न तक	ज्ञात नहीं है

नियम और शर्तें:- बिक्री सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 में बताए गए नियम और शर्तों और नीचे दी गई दूसरी शर्तों के अधीन होगी:
1. प्रॉपर्टीज़ 'जैसी है जहाँ है' और 'जैसी है जैसी है' और 'जो भी है' के आधार पर बेची जा रही है.
2. ऊपर शेड्यूल में बताई गई सिक्योर्ड एसेट्स की डिटेल्स ऑथराइज़्ड ऑफिसर की जानकारी के हिसाब से बताई गई है, लेकिन ऑथराइज़्ड ऑफिसर इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत जानकारी या चूक के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.
3. **सेल नीचे दिए गए साइन करने वाले द्वारा वेबसाइट: https://baanknet.com पर दिए गए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए 24.08.2026 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4:00 बजे तक की जाएगी.**
4. सेल के विस्तृत नियम व शर्तों लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें.

दिनांक: 02.08.2026
स्थान: मुंबई

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक बिक्री नोटिस